सं0–7/सामुदायिक–09–01/2012– 58(7)9

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

संजय कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

संबंधित सिविल सर्जन
(संलग्न विवरणी के अनुसार) ।

पटना, दिनांक : 19-10-2012

विषयः– मांग संख्या 20 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–03–ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें– एलोपैथी–110–अस्पताल तथा औषधालय–0001–सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र–विपत्र कोड– N2210031100001 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012–2013 में वेतन भत्ते मद एवं अन्य मदों में कुल ₹7,65,91,000/–(सात करोड़ पैसठ लाख एकान्वे हजार रूपये)मात्र का अतिरिक्त आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित शीर्ष/उपशीर्ष/विपत्र कोड अन्तर्गत आवंटनादेश सं0–05(7)ब दिनांक–16.04.12, 41(7)ब दिनांक–7.9.12 एवं मांग पत्र के आलोक में संलग्न विवरणी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2012–2013 में वेतन भत्ते मद एवं अन्य मदों में कुल ₹7,65,91,000/–(सात करोड़ पैसठ लाख एकान्वे हजार रूपये)मात्र अतिरिक्त आवंटन दी जाती है। (विवरणी संलग्न)

2. सम्बंधित आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं0 2561 वि0 (2) दिनांक 17.4.98 एवं परिपत्र 2419 वि0(2) दिनांक 05.04.2007, 2398वि0(2) दिनांक–8.4.08 एवं वित्त विभागीय पत्रांक–3388वि0(2) दिनांक 18.4.11 में निहित निदेश के अनुसार व्यय सुनिश्चित किया जाय ।

3. आवंटित राशि की निकासी मांग संख्या 20 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–03–ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें– एलोपैथी–110–अस्पताल तथा औषधालय–0001–सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र–विपत्र कोड– N2210031100001 अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012–2013 के आय व्ययक आयोजना भिन्न में उपबंधित राशि से किया जायेगा ।

4. सिविल सर्जन अपने स्तर से अधीनस्थ यथानुसार संबंधित प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी संबंधित रेफरल अस्पताल में कार्यरत बल के आधार पर वित्तीय वर्ष 2012–13 के नियमित वेतन भत्ता तथा अन्य मद के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को उप आवंटन एक मुश्त में करेंगे। उप आवंटन की एक प्रति विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे।

5. सिविल सर्जन एक इकाई से दूसरी इकाई में या एक उपशीर्ष से दूसरे उपशीर्ष में अपने स्तर से राशि का विचलन नहीं करेंगे। इसमें किसी भी तरह की शिथिलता वांछनीय नहीं होगी । इसकी पूरी जबावदेही संबंधित सिविल सर्जन की होगी ।

6. दवा भंडार, आहार/पथ्य, मशीने एवं उपस्कर, वाहन का इंधन एवं रखरखाव, सामग्री एवं पूर्त्तियाँ एवं दूरभाष के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सम्बंधित सिविल सर्जन तथा अन्य इकाईयों के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, रेफरल अस्पताल/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा सभी के नियंत्री पदाधिकारी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे ।

7. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृति बल के विरूद्ध नियमानुकूल नियुक्त पदाधिकारी/कर्मचारी का ही वेतन भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा इस आशय का प्रमाण–पत्र वेतन विपत्र में भी अंकित करेंगे ।

8. कई पदाधिकारियों/कर्मचारियों के बकाये वेतन का भुगतान नहीं हुआ है जिसके कारण माननीय उच्च न्यायालय के सामने भी कई मामले दायर किये गये हैं । माननीय उच्च न्यायालय ने ऐसे मामलों में यह आदेश पारित किया है कि विभाग देय बकाये वेतनादि का भुगतान शीध्र करे । अतः यह आदेश दिया जाता है कि जिन पदाधिकारियों/कर्मचारियों का बकाया वेतन है वे शपथ पत्र के साथ अपना आवेदन सम्बंधित सिविल सर्जन/क्षेत्रीय उप निदेशक/निदेशक प्रमुख को देंगे । सिविल सर्जन/क्षेत्रीय उप निदेशक/ निदेशक प्रमुख निम्नांकित बिन्दुओं पर आवेदन की जाँच कर बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे।

1. संबंधित पदाधिकारी/कर्मचारी विधिवत वहां पदस्थापित हैं ।

2. विधिवत पदस्थापित होने का सत्यापन कर केवल उसी अवधि का वेतन का भुगतान किया जायेगा जिस अवधि में ये पदाधिकारी वास्तव में कार्य किये हों ।
3. जहाँ तक कर्मचारियों के बकाये वेतनादि के भुगतान का प्रश्न है सिविल सर्जन इस बात का सत्यापन कर लेंगे कि उक्त अवधि का भुगतान पूर्व में नहीं हुआ है।

सिविल सर्जन / क्षेत्रीय उप निदेशक/निदेशक प्रमुख उपरोक्त शर्त्तों से संतुष्ट होने पर इस आवंटनादेश से बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे । यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पुनरीक्षित वेतनमान के अन्तर राशि भी सिविल सर्जन सब तरह से संतुष्ट होकर कि, कितनी राशि देय है, का भुगतान इस आवंटन से कर सकते हैं ।

9. व्यवसायिक एवं विशेष सेवाएँ (28–01) इकाई के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित अस्पताल के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी होंगे ।

10. यह मात्र आवंटन आदेश है। इसे व्यय की स्वीकृति न समझा जाय। व्यय हेतु निर्धारित वित्त विभाग/ स्वास्थ्य विभाग की प्रक्रिया का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

11. क्रय सम्बंधी कार्य स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक–96(9) दिनांक–18.02.99, 142(9) दिनांक–15.03.2001, 241(9) दिनांक–21.05.2002 एवं 379(9) दिनांक–16.08.2002 तथा 73(9) दिनांक 28.1.06 के आलोक में सभी सरकारी औपचारिकताओं को पूरा करते हुए किया जायगा ।

12. आवंटित राशि से किए गए क्रय में निर्धारित विहित प्रक्रिया का पालन करने, उनका सदुपयोग सुनिश्चित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा ।

13. इस आवंटनादेश से वेतन भुगतान के क्रम में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित स्थापना के कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों का वेतन भुगतान सुनिश्चित करने के पश्चात ही स्वयं अपने वेतन की निकासी करेंगे ।

14. वाहन का ईंधन एवं रख–रखाव मद में आवंटित राशि से संधारण/मरम्मती आदि के लिए वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेश/परिपत्र का अक्षरशः अनुपालन करते हुए ही व्यय सुनिश्चित की जाय।

15. विद्युत विपत्र की राशि का भुगतान के क्रम में विपत्र पर यह भी प्रमाण पत्र अंकित किया जायगा कि इस विपत्र में किसी आवासीय परिसर के उपभोग में लाई गयी विद्युत की राशि सम्मिलित नहीं है। आवंटित राशि का व्यय अविलम्ब सुनिश्चित किया जाय ।

16. संबंधित सिविल सर्जन अपने अधिनस्थ निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी से विहित प्रपत्र में व्यय विवरणी टी0भी0 नं0 एवं तिथि के साथ प्राप्त कर समेकित कर तथा सम्बंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे।

17. इसकी प्रति महालेखाकार बिहार, पटना को भी दी जा रही है ।

विश्वासभाजन,

19/X/2012

(संजय कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : 58(3)9 पटना, दिनांक : 19-10-12

प्रतिलिपि : महालेखाकार बिहार, पटना/वित्त विभाग बजट शाखा/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त/ सभी जिला पदाधिकारी /सभी क्षेत्रीय उप निदेशक/ सभी कोषागार पदाधिकारी/ सभी उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ/राज्य डेमोग्राफर, स्वास्थ्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी–7 एवं कार्यवाह सहायक /आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

19/X/2012

सरकार के संयुक्त सचिव

वित्तीय वर्ष 2012–2013 में बिहार स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र उपशीर्ष का वेतनादि एवं अन्य मदों में अतिरिक्त आवंटन विवरणी ।

क्रम	जिला का नाम	वेतन (01–01)	जीवन यापन भत्ता (01–03)	मकान भत्ता (01–04)	चिकित्सा भत्ता (01–06)	अन्य भत्ता (01–07)	योग वेतन	यात्रा व्यय (11–01)	कार्यालय व्यय (13–01)	दूरभाष (13–03)	विद्युत प्रभार (13–04)	वर्दी/ पोषाक (13–06)	सामग्री एवं पूर्तियाँ (21–01)	दवा भंडार (21–02)	आहार/ पथ्य (21–03)	व्यवसायिक एवं विशेष सेवाएँ (28–01)	मशीने एवं उपस्कर (52–01)	कुल	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	गोपालगंज	0	0	0	0	0	0	4500	10950	0	200000	0	265000	1700000	0	1700000	100000	3980450	2407/3.9.12
2	मधुबनी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360000	2300000	0	1400000	0	4060000	2418/29.8.12
3	दरभंगा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800000	0	800000	3173/25.9.12
4	सारण	300000	201000	45000	3600	15000	564600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	564600	2392/24.9.12
5	सीतामढ़ी	1200000	804000	180000	14400	60000	2258400	3000	0	0	0	0	180000	250000	0	220000	0	2911400	2705/4.9.12
6	समस्तीपुर	1800000	1206000	270000	21600	90000	3387600	0	0	0	0	0	90000	570000	56900	570000	0	4674500	2125/12.9.12
7	जहानाबाद	2100000	1407000	315000	25200	105000	3952200	0	0	8000	0	0	0	1100000	0	700000	0	5760200	1427/30.7.12
8	जमुई	3800000	2546000	570000	45600	190000	7151600	3000	10950	0	0	10000	265000	1700000	0	0	0	9140550	1795/29.9.12
9	किशनगंज	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110000	1100000	0	1210000	2014/21.9.12
10	सीवान	5000000	3350000	750000	60000	250000	9410000	0	0	0	0	0	265000	1700000	0	1700000	138000	13213000	24/b-15.9.12
11	मुजफ्फरपुर	3000000	2010000	450000	36000	150000	5646000	0	0	0	95700	0	0	0	0	0	0	5741700	2138/17.8.12
12	लखीसराय	1500000	1005000	225000	18000	75000	2823000	0	0	0	0	0	0	0	0	500000	0	3323000	1257/21.9.12
13	भागलपुर	1900000	1273000	285000	22800	95000	3575800	0	0	0	0	0	0	0	170000	1000000	92000	4837800	3294/26.9.12
14	बाँका	4000000	2680000	600000	48000	200000	7528000	0	0	0	0	0	0	1700000	170000	1700000	0	11098000	3187/7.9.12
15	अररिया	1900000	1273000	285000	22800	95000	3575800	0	0	0	0	0	0	0	0	1700000	0	5275800	1157/31.8.12, 1043/11.8.12
	कुल	**26500000**	**17755000**	**3975000**	**318000**	**1325000**	**49873000**	**10500**	**21900**	**8000**	**295700**	**10000**	**1425000**	**11020000**	**506900**	**13090000**	**330000**	**76591000**	

(सात करोड़ पैसठ लाख एकान्वे हजार रू0) मात्र

19/x/2012

सरकार के संयुक्त सचिव

58(7)A
19-10-12

E:\2012-2013 file\Budget 2012 13\Das g\Referal 2Ref

उपबंध की स्थिति

क्रमांक	प्राथमिक इकाई एवं कोड	बजट उपबंध	पूर्व आवंटित राशि	वर्तमान आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि	अवशेष राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	वेतन (01–01)	226652000	191000000	26500000	217500000	9152000
2	जीवन यापन भत्ता (01–03)	151856000	127970000	17755000	145725000	6131000
3	मकान किराया भत्ता (01–04)	33998000	28650000	3975000	32625000	1373000
4	चिकित्सा भत्ता (01–06)	2818000	2292000	318000	2610000	208000
5	अन्य भत्ता (01–07)	11333000	9550000	1325000	10875000	458000
	योग वेतन एवं भत्तेः–	**426657000**	**359462000**	**49873000**	**409335000**	**17322000**
6	चिकित्सा प्रतिपूर्ति (06–01)	1000000	0	0	0	1000000
7	यात्रा व्यय (11–01)	200000	97500	10500	108000	92000
8	कार्यालय व्यय (13–01)	650000	313600	21900	335500	314500
9	दूरभाष (13–03)	384000	189400	8000	197400	186600
10	विद्युत प्रभार (13–04)	720000	355680	295700	651380	68620
11	विधि प्रभार (13–05)	500000	247000	0	247000	253000
12	वर्दी / पोषाक (13–06)	593000	292500	10000	302500	290500
13	सामग्री एवं पूर्तियॉ (21–01)	15000000	8130000	1425000	9555000	5445000
14	दवा भंडार (21–02)	96000000	53530000	11020000	64550000	31450000
15	आहार / पथ्य (21–03)	10000000	5418900	506900	5925800	4074200
16	व्यवसायीक एवं विशेष सेवाएँ (28–01)	96000000	61110000	13090000	74200000	21800000
17	मशीने एवं उपस्कर (52–01)	7700000	4260000	330000	4590000	3110000
	कुल योगः–	**655404000**	**493406580**	**76591000**	**569997580**	**85406420**

सरकार के संयुक्त सचिव